

## स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण

### प्रलिमिस के लिये:

ओबीसी आरक्षण, शहरी स्थानीय निकाय।

### मेन्स के लिये:

स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का महत्व।

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने महाराष्ट्र सरकार की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने दसिंबर 2021 के आदेश को वापस लेने का फैसला किया, जिसके माध्यम से स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पछिड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27% आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी।

- सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण देने की ज़मिमेदारी पछिड़ा वर्ग आयोग को सौंपी है।
- महाराष्ट्र अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहाँ स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई गई थी। दसिंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश सरकार के लिये एक समान आदेश पारति किया, जिसमें ओबीसी सीटों को तीन-परीक्षण मानदंडों (जैसा कि 2010 के फैसले में कहा गया है) का पालन करने में वफिल रहने पर सामान्य शरणी के रूप में अधिसूचित किया गया था।
  - इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसी तरह का एक आवेदन किया है, जिसमें राज्य में 51% ओबीसी आबादी होने का दावा किया गया है।

- The apex court's latest order in *Rahul Ramesh Wagh v. State of Maharashtra & Ors.* makes it mandatory that the principles laid down by the Supreme Court for providing reservation to OBCs in local bodies shall be followed across the country.
- A five-judge Constitution Bench in the *K. Krishnamurthy (Dr.) v. Union of India (2010)* judgment said that barriers to political participation are not the same as barriers to education and employment. Though reservation to local bodies is permissible, the top court declared that the same is subject to three conditions: 1) to set up a dedicated Commission to conduct empirical inquiry into the nature of the backwardness in local bodies, 2) to specify the proportion of reservation required to be provisioned local body-wise 3) such reservation shall not exceed aggregate of 50% of the total seats reserved for SCs/STs/OBCs taken together.
- Maharashtra had constituted a Commission to ascertain the backwardness of OBCs in June 2021. But without waiting for an empirical report, an ordinance was promulgated to amend the Maharashtra Zilla Parishads Act, Panchayat Samitis Act and the Maharashtra Village Panchayat Act so as to conduct local body elections with OBC reservation. This was struck down by the Supreme court.



## प्रमुख बातें

### ■ पृष्ठभूमि:

- मार्च 2021 में SC ने राज्य सरकार को तीन शर्तों का पालन करने के लिये कहा था- ओबीसी आबादी से संबंधित अनुभवजन्य डेटा एकत्र करने के लिये एक समर्पित आयोग की स्थापना, आरक्षण के अनुपात को नरिदृष्टि करना और यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण सीटों का

- संचयी हसिसा कुल सीटों में से 50% का उल्लंघन न करे।
- सरवोच्च न्यायालय के आदेश के बाद सरकार ने ओबीसी के अनुभवजन्य डेटा के लिये समरपति आयोग की नियुक्तिकी और 50% आरक्षण की सीमा को पार कर्य बना स्थानीय निकायों में ओबीसी को 27% तक आरक्षण देने के लिये एक अध्यादेश भी जारी किया।
- हालाँकि शीर्ष अदालत ने दसिंबर 2021 में यह कहते हुए रोक लगा दी कि इसे अनुभवजन्य डेटा के बना लागू नहीं किया जा सकता है और राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को ओबीसी सीटों को सामान्य श्रेणी में रखकर चुनाव करने को कहा है।
- दलील:**
  - महाराष्ट्र सरकार ने दावा किया कि शीर्ष अदालत द्वारा दिये गए दसिंबर के आदेश के दो प्रत्यक्षित प्रभाव होंगे।
  - ओबीसी से संबंधित वयक्तिलोकतांत्रकि प्रकरण के माध्यम से नियुक्ति पदों पर चुने जाने के अवसर से वंचति होंगे, जो न केवल ओबीसी समुदाय के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा बलकि अन्य सभी समुदायों के विकास में मदद करते थे।
  - ओबीसी का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व या गैर-प्रतिनिधित्व संवेदनकि योजना के उद्देश्य व मंशा के बलिकुल विपरीत है।
  - राज्य ने यह भी दावा किया कि उसने पहले ही एक आयोग नियुक्त करके और डेटा एकत्र करके तीन परीक्षण दिशा निर्देशों में से दो का पालन किया था।
  - महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में आरक्षण ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात पर आधारति है और पूरे महाराष्ट्र राज्य के सभी ज़िलों में 27% का समग्र आरक्षण नहीं है।
  - स्थानीय निकायों में 27% ओबीसी कोटा को सही ठहराने हेतु एक मध्यवर्ती उपाय के रूप में राज्य ने एक नमूना सर्वेक्षण का उल्लेख किया जिसमें कहा गया कि नमूना आकार में ओबीसी का वर्तिरण 48.6% पाया गया था।
- सरवोच्च न्यायालय का निर्देश:**
  - सरवोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को 'महाराष्ट्र राज्य पछिड़ा वर्ग आयोग' (MSCBC) द्वारा ओबीसी डेटा की जाँच करने और स्थानीय निकायों के चुनावों में उनके प्रतिनिधित्व पर सफिराशें करने का निर्देश दिया।
- नहितिरथ:**
  - सरवोच्च न्यायालय के आदेश ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में OBC कोटा बहाल करने की संभावना को बढ़ा दिया है।
  - सरकारी आँकड़ों में राज्य के ग्रामीण विकास वभिग और शहरी विकास वभिग के गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य व शक्तिक्षेत्रों हेतु स्थानीय निकायों द्वारा वभिन्न सर्वेक्षण शामिल हैं।
  - सरकार पूरव पछिड़ा वर्ग आयोग के आँकड़ों और वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का भी हवाला दे सकती है।
  - सरकार को MSCBC और राज्य चुनाव आयोग के साथ उचित समन्वय सुनिश्चित करना होगा और स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बहाल करने हेतु मलिकर कार्य करना चाहिये।

## वर्ष 2010 का नियन्य

- के. कृष्णमूरती बिनाम भारत संघ वाद (2010) में सरवोच्च न्यायालय के पाँच-न्यायाधीशों की संवधान पीठ ने अनुच्छेद 243D(6) और अनुच्छेद 243T(6) की वयाख्या की थी, जो कानून के अधनियमन द्वारा क्रमशः पंचायतों और नगर निकायों में पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण की अनुमतिदिते हैं। इसमें सरवोच्च न्यायालय ने यह माना था कि राजनीतिकी भागीदारी की बाधाएँ, शक्ति एवं रोज़गार तक पहुँच को सीमित करने वाली बाधाओं के समान नहीं हैं।
- समान अवसर देने हेतु आरक्षण को वांछनीय माना जाता है, जैसा कि उपरोक्त अनुच्छेदों द्वारा अनिवार्य है जो कि आरक्षण के लिये एक अलग संवेदनकि आधार प्रदान करते हैं, जबकि अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत शक्ति व रोज़गार में आरक्षण की प्रक्रिया की गई है।
- यद्यपि स्थानीय निकायों को आरक्षण की अनुमति है, किंतु सरवोच्च न्यायालय ने घोषति किया कि यह आरक्षण स्थानीय निकायों के संबंध में पछिड़ेपन के अनुभवजन्य डेटा के अधीन है।

## स्रोत: द हैंडी